Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance)—Reservations for, and Employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Life Insurance Corporation of India and facilities! concessions provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the Life Insurance Corporation of India.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

II. THE APPROPRIATION BILL, WAYS) BILL, 1973.

II. THE APPROPRIATION BILL, 1973.

SECRETARY: Sir, have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

(I)

"Inaccordance with the provisions . of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose herewith the Appropriation (Rail-ways,) Bill, 1973, as passed by Lok-Sabha at its sitting held on the 20th March, 1973.

"2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of artidte 110 of the Constitution of India."

In accordance with the provi sions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the- Appropriation Bill, 1.973. as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 1973.

"""2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall take up the Calling Attention Motion a little afterwards because. .

SHRI N. G. GORAY MAHARASHTRA): Then why not take it up at 2.00?

MR. DEPUTY CHARM AN: We will take it up at 2.00 and we will proceed to the discussion on the motion and Resolution regarding Orissa. Mr. Majhi.

I. MOTION RE. REVOCATION OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT IN RELATION TO THE STATE OF ORISSA II. GOVERNMENT RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT IN RELATION TO THE STATE OF ORISSA—contd.

SHRI C. P. MAJHI (Orissa): Hon. Deputy Chaiman, Sir, political instability »nd natural calamities are the main obstacles in the State of Orissa which have been standing in the way of progress of the State. Duping the last 25 years since India achieved independence, the State has baten overtaken either by political crisis or by natural calamities like-drought, flood and cyclones. Political

instability and political confusion have prevailed constantly in the State and three personalities, namely, Dr. Hare Krishna Mahtab, Shri R. N. Singh Deo and Shri Biju Patnaik have dominated the political scene of Orissa. They have tried to capture power by hook or by crook, at one time or the other. Although they claim to belong to different political parties having different ideologies, they do not seem to have political conviction of their own. Dr. Mahatab, now leader of the Swadhim Congress, was the leader of the Jana Congress, Shri R. N. Singh Deo, now leader of the Swatantra Party in the State, was the leader of the Ganatantra Parishad Shri Biju Patnaik, now leader of the Pragati Dal. was the leader of the Utkal Congress. It is seen that to capture power they have been either changing sides or have been changing political colours and have been misguiding the people of Orissa. Now they have ganged up and formed Pragati Dal in Orissa and have taken now to deliver the goods to the people of Orissa.

The Governor of Orissa has taken a most appropriate action in recommending for the proclamation of the President's Rule in the State after the collapse of the Congress Ministry in the State headed by Shrimati Sat-pathy. If one looks to the situation dispassionately and calmly, he would be convinced that the Governor had no alternative except the step which he was compelled to take No political party in the State, including the Pragati Dal, could have offered a stable Ministry in the State which could survive for the rest of the term of the Assembly in Orissa.

Shrimati Satpathy submitted her .resignation at 6-45 4.M. on 1-8-73 when she came to know that a conspiracy was going on between Shri N. Routrai and Shri Gangahar Pradhan to sabotage her progressive measures.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Why did she resign?

SHRI C. P. MAJHI: I am coming to it. She proposed to take action during her Chief Ministership.

SHRI NAWAL KISHORE Uttar Pradesh): Was it a Government of saboteurs and conspirators?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why interrupt him? He has not much time.

SHRI C. P. MAJHI: At about 9.45 A.M. on the same day Shri Patnaik, leader of the Pragati Dal, met the Governor and claimed that he had a support of 72 M.L.As. in a House of 140, and wanted to form a Ministry. The Governor assured Shri Patnaik that his claim wcild be given due consideration. This has appeared in the Governor's report But by mid-day one M.L.A. informed the Governor that he supported Shri Patnaik under pressure and coercion and had, therefore, withdrawn his support.

The Governor reports that Shri Patnaik, Shri R. N. Singh Deo and Dr. Mahatab met the Governor once again at about 4 P.M. along with their supporters and press representatives

They requested the Governor to allow them to form a Government in the State immediately. Dr. Mahatab admitted before tne c3overnor that if there would be delay in formation of the Ministry by the Pragati Dal Ayaram and Gayaram would take place. This indicates that Dr. Mahatab was himself in doubt about the loyalty of the supporters. When the Governor was seized with the issue, whether to give Shri Patnaik a chance to form the Ministry, another M.L.A. wrote to the Governor by 9 P.M. that the he supported Shri Patnaik under threat and intimidation and had, therefore, withdrawn his support. These M.L.A.s have never contradicted their statement subsequently. It is, therefore, just and correct for the Governor to suspect the loyalty of the M.L.A.s to Shri Patnaik. The loyalty of these 72 M.L.A.s to Shri Patnaik was actually flexible and unstable. Some more would have left Pragati Dal after formation of the Ministry by Shri Patnaik if they were not given their berths in the Ministry.

In the circumstances, the Governor could not have shared Shri Patnaik's claim that he was in a position to form a stable Ministry when some M.L.A.s were oscillating between the Congress Party and the Pragati Dal for personal gains. The Governor was convinced that none of the parties was in a position to offer a stable Ministry to the State and, therefore, the Constitutional machinery in the State had failed. Further the Governor knew that Dr. Mahatab, Mr. R. N. Singh Deo and Mr. Biju Patnaik have no meeting point ideologically. The Pragati Dal was a baby of the unholy marriage of convenience which took place among them on the 28th January 1973. These three leaders of Orissa who, as I have said earlier, have made Orissa Politics their personal affairs during the last 25 years, were not able to see eye to eye only sometime back. They were spitting venom at each other. They set up commissions of inquiry against each other for their corrupt practices. 23 RSD—6.

This new twist in Orissa politics took place when the recommendations of the Sarjoo Prasad Commission were proposed to he taken up against Dr. Mahatab. When a Commission of Inquiry was proposed to be set up against Mr. R. N. Singh Deo by the Congress Ministry, these leaders of diametrically opposite views joined hands to out the Congress Government. In the last by- election at Cuttack, they actually joined hands and tried to defeat Mrs. Nandini Satpathi, but the electorate did not oblige them. However, the art of horse-trading was another weapon left for them in their armoury to pull down the Ministry. So, when Mrs. Nandini Satpathy was about to settle down in the Ministry properly after her election, they found an opportunity to apply this last weapon. Five MLAs of the Congress Party who were aspirants in the Ministry defected and formed an independent Congress Party headed by Dr. Mahatab. After some time, another MLA of the Congress Party was given some money and he gave a statement that he had joined the Pragati Dal. Subsequently when his effigy was bMrnt in his constituency, he became so much afraid that he went to Mrs. Nandini Satpathy and deposited the entire money received from the Pragati Dal. Mr. Biju Patnaik nas been saying openly that MLAs are commercial commodities in Orissa. This is a very serious utterance by a political leader and is a danger signal to our democracy and democratic institutions. In the circumstances, if the Pragati Dal had been allowed to form the Ministry, it would have hardly survived even for a month. There should not be any controversy over the fact that Mrs. Nandini Satpathy had majority support at the time of submitting her resignation. She submitted her resignation at about 6-45 A.M. on 1st March 1973. Till that time no Minister nor any MLA had informed the Governor that he had withdrawn support from the Satpathy Ministry. Mr. Routray and Mr. Gangadhar Pradhan submitted their resignation after Mrs.

[Shri C. P. Majhi]

Nandini Satpathy had! already sub-mitted her resignation to the Governor. So it was clear that Mrs. Satpathy had the support of the majority when she submitted her resignation and she was competent to advise the Governor to dissolve the Assembly. The dissolution of the Assembly does not deprive anybody of his right to contest in the election and form a Government after the election if he commands a majority support. The Opposition parties stand an equal chance in the election and therefore they should not he afraid of facing an election. Further, Mr. R. N. Singh Deo and Mr. Biju Patnaik had in fact had a chance to form a Ministry; after the midterm election of 1971 they had formed a Ministry. They must have had enough experience of how difficult it was to survive the Ministry in spite of having provided berths to 28 persons in the Ministry. The Ministry did not last a year. This time also the same thing would have repeated itself and more people would have toeen provided with berths in the Ministry. Actually, if the Congress party had wanted to cling to power, it could have done so by providing some forty berths in the Ministry, but the Congress party did not want that in a poor State like Orissa there should be more number of Ministers and the progress of the people should be hampered. More Ministers have to be given positions only for their personal gain. So the Governor was very right in dissolving the Assembly and recommending President's rule in the State. Thank you.

श्री गोलाप बरबोरा (आसाम) : उपसभापति जी, उड़ीसा में गवर्नर जत्ती साहब ने जो कुछ भी किया वह देश में प्रजातंत्र को खत्म करने वाली चीज है और गवर्नर जत्ती की रिपोर्ट की बुनियाद पर राष्ट्रपति जी ने जो कुछ भी किया है, वह भी शर्मनाक है और इसी लिये मैं उनके प्रोक्लमेशन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आज श्रीमती नन्दिनी सत्पथी के लिये आंसू बहाने वाला देश में कोई नहीं है। शायद सी०पी०आई० के कुछ लोग और कांग्रेस में रूसीवादियों का जो एक गुट है जिसमें श्री मालवीय और चन्द्रजीत यादव शामिल हैं, इन दो गुटों को छोड़कर जहां तक मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग और देश के ज्यादातर लोग भी उनके लिए आंसू बहाने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि किसी नेता को किसी प्रान्त पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। नन्दिनी सत्पथी का उड़ीसा में कोई बेस नहीं था। वह राज्य सभा में लाई गई और फिर यहां पर सेन्ट्रल मिनिस्टर बना दी गई। सेन्टर मिनिस्टर से उसको उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर बना दिया गया।

अब गवर्नर साहब ने उड़ीसा के बारे में जो रिपोर्ट दी है वह अजीब है। उनके सामने जिन 75 एम० एल० एज० को खड़ा किया गया उसके बारें में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। वे अपनी रिपोर्ट में डिफेक्शन का सवाल उठाते हैं। जिस दिन नन्दिनी सत्पथी उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर बनी थी, उस समय कांग्रेस पार्टी में केवल 48 एम० एल० एज० थे और उत्कल कांग्रेस से एम० एल० एज० को डिफेक्ट कराके वे वहां पर चीफ मिनिस्टर बनी। उस समय कांग्रेस के लिये वह डिफेक्शन नहीं था। इधर जब उत्कल कांग्रेस के लोग फिर अपनी पार्टी में वापस आ गये, कांग्रेस को छोड़कर आ गये, तो वे सब डिफेक्टर बन गये और इस तरह से स्टैबिलिटी का सवाल खड़ा कर दिया गया। स्टैबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं है खासकर एक अनस्टैबिल कंट्री में जहां राजनीति में कोई चीज स्टेबिल नहीं हो सकती है। अगर आप स्टैबिलिटी के बारे में सोचेंगे तो स्टैबिलिटी तो सिर्फ श्मशानघाट के अलावा कहीं नहीं हो सकती है। राजनीति में तो स्टैबिलिटी हो ही नहीं सकती है विशेषकर

हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां कुछ लोग दल बदल कर करके कभी इधर हो गये और कभी उधर हो गये और फिर सरकार बना ली। इस तरह से सरकार बनती रही और टूटती रही। इसीलिये स्टेबिलिटी का सवाला यहां खड़ा किया जाता है।

प्रोग्रेसिव और रिअक्शनरी, अंग्रेजी वाकुबिलरी के ये शब्द हिन्दुस्तान की राजनीति में इतने गलत ढंग से इस्तेमाल किये जाते है कांग्रेसियों की तरफ से और खासकर इंदिरा वादी कम्युनिस्टों की तरफ से कि उनका कोई मेल नहीं है। कौन प्रोग्रेसिव है, कौन रिअक्शनरी है, इसका मापदण्ड क्या है? कांग्रेस के साथ रहे तो प्रोग्रेसिव, शासक दल का गुलाम बने तो प्रोग्रेसिव है, उनका विरोध करता है तो रिअक्शनरी है। उड़ीसा की राजनीति में नंदिनी सत्पथी प्रोग्रेसिव है, जेड० ए० अहमद साहब बड़े जोर से तकरीर कर र थे कि प्रोग्रेसिव मीजर्स लिये थे, लेंड डिस्ट्री-ब्यूशन और लेंड सीलिंग के बारें में मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेसी राज में हिंदुस्तान में कितने गरीब किसानों को कहां कितनी जमीन मिली? कहीं भी किसानों को जमीन नहीं मिली कागज में चाहे वह कुछ भी बनायें। मैं आसाम से आता हूं, वहां 150 एकड़ की सीलिंग रही, बाद में 75 एकड़ की सीलिंग बनी और अब 50 बीघा की सीलिंग बनी, लेकिन इस बीच में कितने लोगों को, कितने गरीब भूमिहीन लोगों को जमीन मिली, कभी आसाम सरकार ने इस बारे में बताया नहीं। वैसे ही उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या कहीं भी हो, जमीन नहीं मिली।

उड़ीसा में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ कांग्रेसी लोग खड़ होकर बोलते है कि वस्टेड इंटरेस्ट मजबूत हो गये है, इसलिये अच्छा हुआ कि वहां राष्ट्रपति शासन हुआ। लेकिन मैं मिसाल देना चाहता हूं कि देश के कुछ जर्नल्स ऐसे है, जैसे मेन-स्ट्रीम, पेट्रियट, लिंक ये ब जर्नल्स जो हैं वह कांग्रेस और रूसवादी इंदिरावादी कम्यूनिस्टों के नीचे चलते हैं। जब नंदिनी सत्पथी की सरकार बनी तो उसके बाद मेन-स्ट्रीम के ऐडिटर निखिल चक्रवर्ती ने लिखा था कि आप अब बीजू पटनायक को क्यों नहीं लेते हैं? जब हरिकृष्ण मेहताब को ले सकते हैं तो बीजू पटनायक आपके लिये क्यों खराब है। मेन-स्ट्रीम ने यह कहा है। वैसे ही पेट्रियट ने भी लिखा। अभी दो हफ्ते पहले लिंक में लिखा है उड़ीसा के बारें में कि नीलमणि राउतराय जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे उनके हाथ से पब्लिक अंडरटेकिंग का जो पोर्टफोलियो रहा वह छीन लिया गया था और एक सज्जन जिनके हाथ से फारेस्ट का पोर्टफोलियो छीन लिया गया वह इसलिये छीन लिया गया था कि केन्दू पत्ते का सवाल उड़ीसा की राजनीति में भ्रष्टाचार लाने का सवाल है इसलिये उस बिजिनेस का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। ये सजेस्शन नीलमणि राउतराय और दूसरे मिनिस्टर का रहा इसलिये वे नन्दिनी सत्पथी के लिये खराब रहे। उनके साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कभी हमारें राज्य सभा के भी वह सदस्य रहे। बांका बिहारी बास जिसको कांग्रेस डिफेक्टर नहीं मानती है, जो कि सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गये मिनिस्ट्री की लालच में, इन दोनों ने कहा कि उसका टेक-ओवर होना चाहिए और नन्दिनी सत्पथी के चुनाव में 86 लाख रूपया खर्चा हुआ जोकि लिंक जैसे वामपंथी पत्रिका का भी कहना है। इसलिये उड़ीसा में जो कुछ हुआ, यह सरासर गलत हुआ, यह लोकतंत्र को दफनाने का काम हुआ है। उड़ीसा के गवर्नर ने और साथ ही साथ राष्ट्रपति ने भी शासक दल के रबर स्टेंप की हैसियत से काम किया है। इसलिये उनकी जो व्यवस्था है, इसका हम विरोध करते है।

श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल (बिहार) : उपसभापति महोदय, अभी जो सदन के सामने राष्ट्रपति का जो आदेश है उसको कंफर-मेशन के लिये सदन के सामने उपस्थित किया

[श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल]

गया है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसका कंफरमेशन हो। मैं चाहता हूं कि आउट-राइट इसका रिजेक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि इसका सम्बन्ध केवल आज से ही नहीं है बल्कि जो हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र चल रहा है उस प्रजातंत्र से उसका सम्बन्ध है। राष्ट्रपति ने जो कुछ किया वह उनको नहीं करना चाहिये था, उड़ीसा के गवर्नर ने जो कुछ किया है वह उनको नही करना चाहिए था। लेकिन आज ऐसा रवैया इस सरकार ने अपनाया है कि क्या राष्ट्रपति क्या गवर्नर सभी के ऊपर डिक्टेशन चलता है केन्द्र से। केन्द्र की सरकार की ओर से डिक्टेशन चलता है। जिस बात को रोकने के लिये संविधान ने इन दो जगहों की सृष्टि की थी, ठीक उसी के खिलाफ आज बात हो रही है। इसलिए इसका विरोध करना हर जनतंत्री का फर्ज हो जाता है। मैं ऐसा क्यों करता हूं ? गवर्नर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से ही ऐसा मालूम पड़ता है कि कितनी पक्षपातपूर्ण वह रिपोर्ट है। जो कुछ नंदिनी सत्पथी कहती हैं, वह ब्रह्म वाक्य हो जाता है, जो वह चाहती हैं करवाना वह तुरन्त हो जाता है। लेकिन जो दो आदमियों का जिक्र गवर्नर ने किया है, वे दो आदमी 72 के अन्दर में आते हैं, राज्यपाल का कहना है कि उन लोगों की चिट्ठी हमारे पास आई है कि दबाव में आकर हम लोगों ने दस्तखत किये थे। लेकिन उनमें से एक ने तो साफ किया है कि हम सत्पथी के साथ हैं और दूसरे के बारे में यह बात साफ नहीं है। इस तरह से गवर्नर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वहां बहुमत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नर ने इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या वह लैटर उनके द्वारा लिखा हुआ है। अगर उनके द्वारा लिखा हुआ है तो वह दबाव में पड़कर लिखा गया या लैटर फिर से दबाव देकर सत्पथी के द्वारा लिखवाया गया था क्योंकि उनका कहना है कि पहला जो लेटर है वह दबाव के बश में आकर लिखवाया गया था। इसलिये दूसरा लेटर भी दबाव में आकर लिखा जा सकता है।

श्री महावीर त्यागी : दो आदमियों के घटने से 72 से 70 रह जाते हैं।

श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल: तो एक तरफ तो सत्पथी कहती हैं कि हमको मेजारिटी नहीं है, इस्तीफा देती है, दूसरी ओर जो वहां का सेक्रेटरी है वह कहता है 72 है जब तक इसका सालिड प्रूफ न हो तब तक इस बात को मान लेना चाहिए था ? गवर्नर की कमेटी ने भी जो रिपोर्ट दी थी या स्पीकर्स कान्फ्रेंस ने जो सिफारिश की थी, उसमें कुछ क्राइटेरियन लेड डाउन किया था कि कौन सा क्राइटेरियन ऐसी हालत में अडाप्ट करना चाहिए था उस प्रोसीजर को नहीं अडाप्ट किया गया, इसका क्या कारण है। गवर्नर को निष्पक्ष तरीके से संविधान के मुताबिक काम करना चाहिये। क्राइटेरियन उस टाइम में दी गई थी जिस टाइम में कि गवर्नर कमेटी विचार कर रही थी जब कि कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं था स्पीकर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था उस समय का उनका जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ काम करने के सम्बन्ध में कोई यथेष्ट कारण होना चाहिए कि क्यों वह उसके मुताबिक काम नहीं कर सके। हिन्दुस्तान में सरकार को चलाने का क्राइटेरिया, चाहे वह उड़ीसा हो, चाहे वह मनीपुर हो, एक होना चाहिये, लेकिन मनीपुर में एक क्राइटेरिया होता है और उड़ीसा में दूसरा क्राइटेरिया होता है। कहा जाता है कि ये जो तीन लीडर थे, श्री बीजू पटनायक, श्री मेहताब और एक साहब कोई और, इन लोगों ने वहां की सरकार तोड़ने की साजिश की और सरकार को तोड़ा। लेकिन इससे पहले डिफेक्ट करा कर के जब कांग्रेस की गवर्नर कायम हुई उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। अगर ऐसा हो कि डिफेक्टर्स की सरकार बन ही नहीं सकती तो वह दूसरी बात है। लेकिन आज हिन्दुस्तान में जो

परिस्थिति है और जितने डिफेक्टर्स हो गये हैं, उसमें यह संभव नहीं है । अगर ऐसी बात हो कि डिफेक्टर होने से कोई आदमी राजनीति से निकल जाता हो, तब वह दूसरी बात है, लेकिन जब तक वह राजनीति में रहता है तब तक राजनीति को चलाने के लिये जो कानून बना हुआ है, सरकार को चलाने के लिये जो कानून बना हुआ है, उस कानून के मुताबिक सारी कार्यवाही होनी चाहिये और जो भी कानून हो वह सब जगह एक जैसा लाग होना चाहिये । एक तरह से उसको हर जगह लागू न कर के, अलग-अलग जगह उसको अलग-अलग तरह से लागू करना, इसको सिवाय पक्षपात के और क्या कहा जा सकता है । इस सारी चीज की जड़ में यह है कि आज हिन्दुस्तान में जनतंत्र की जड़ खोदी जा रही है और इस तरह की परिस्थिति बनाई जा रही है जिससे कि संविधान के ऊपर निष्ठा लोगों की है वह निष्ठा धीरे-धीरे उठ जाय । इसी लिये ऐसे लोग जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं है और जो नैतिकता की दृष्टि से मौके पर डट नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को बड़ी-बड़ी जगहों पर लाने की कोशिश होती है । इन्ही कारणों से जो हाल आंध्र में हुआ वही उड़ीसा में हुआ । आज ऐसे-ऐसे लोगों को हिन्दुस्तान में पावर में लाया जाता है जिनकी जनता में कोई आस्था नहीं होती है । इसका कारण क्या है। डिक्टेटर बनने के लिये ऐसे आदमियों की जरूरत है जिन का कानून और नैतिकता से कोई सरोकार न हो और जिनका सरोकार केवल इस बात से हो कि किसी के पर्सनल इंट्रेस्ट को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है । वहां के गवर्नर और राष्ट्रपति जी, इन सबके कांडक्ट को देखने से ऐसा मालम पड़ता है कि ये लोग किसी दूसरे के डिक्टेशन पर काम करते हैं । इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो संकल्प इस हाउस के सामने आया है, वह रिजेक्ट हो जाय । केवल यही मैं चाहता हूं ।

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपकी अनुमति से श्री अडवाणी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने इस उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के लिए प्रस्ताव किया है ।

1 P.M.

मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता जो कल और आज सदन के सम्मुख लायी गयीं, मैं केवल दो बातों की तरफ आपकी आज्ञा से सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब विधान सभाओं और लोक सभा के अध्यक्षों के सम्मेलन में और मान्यवर राज्यपालों के सम्मेलन में यह बात निश्चित रूप से स्वीकृत हो चुकी थी कि किस दल का बहुमत है इसकी परीक्षा सदैव सदन में ही की जायेगी तो जब-जब इस तरह के अवसर आये तो क्यों उन सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया । इस बात पर हम आज भी सरकार की ओर से स्पष्टीकरण चाहेंगे कि आखिर उनकी नीति क्या है ? क्या भारत सरकार की नीति यह है कि जब जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो उसके अनुसार कार्य किया जाय और उसके अनुसार निर्णय लिये जायें ? अगर शासक दल का हित हो सदन में बहुमत की परीक्षा कराने में तो उसको वह स्वीकार करेगा अथवा शासक दल का हित हो राजभवन में किसी दल का बहुमत और अल्पमत होने का फैसला किया जाय तो वह राजभवन में ही किया जायेगा, इस बारे में आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिये ।

मैं देख रहा हूं कि पिछले इतने वर्षों से जब से संविधान में अनुच्छेद 356 रखा गया है, बराबर समय-समय पर उसका इसी प्रकार से उपयोग राज्यपालों ने किया जिससे शासक दल को ही अधिकांश अवसरों पर लाभ हुआ है । मान्यवर, ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल का यह कार्य उड़ीसा में न केवल अशोभनीय, अमर्यादित और पक्षपातपूर्ण

[श्री श्याम लाल यादव]

है, बल्कि वह एक निन्दनीय कार्य है और घृणित कार्य है, एक गृहीत कार्य है और उससे देश में स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परायें जो हैं उनका हनन हुआ है और किसी भी ऐसी परम्परा का शिलान्यास नहीं होता जिससे इस देश के विरोधी दलों को यह विश्वास हो सके कि किसी परिस्थिति में कोई राज्यपाल निष्पक्ष तरीके से कोई कार्य कर सकेगा। यह राज्यपाल, यह सही है कि राष्ट्रपति जी की मर्जी पर रहते हैं, लेकिन मान्यवर, राष्ट्रपति जी की मर्जी तो केवल शाब्दिक है। वह मर्जी तो भारत सरकार की होती है, प्रधान मंत्री की होती है, उसके मंत्रिमंडल की मर्जी होती है, जिस पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है और जिसके आदेश पर वह अपने पद से निवृत्त भी होता है। तो यह सही है कि जो उड़ीसा के राज्यपाल श्री जत्ती जी हैं या दूसरे राज्यपाल हैं वह सब अपने पद को देखते हैं और वे जानते हैं कि वे जिसके बल पर अपने पद आसीन हैं अगर उनकी इच्छानुसार वे कार्य नहीं करेंगे तो वे अपने पदों पर नहीं रह सकेंगे। इसलिये वे ऐसे कार्य करते हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि जब उनके पास सुबह 6 बजे यह इत्तला पहुंच चुकी थी कि विधान सभा में इस प्रगतिशील विधायक दल के 72 सदस्य गये हैं और उसके बाद मुख्य मंत्री जी का इस्तीफा आता है और विधान सभा को भंग करने के लिए सिफारिश जाती है तो कोई कारण नहीं था कि उस परिस्थिति में वह किसी मुख्य मंत्री की बात को मानते। ठीक ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं और सदन को भी जब चौधरी चरण सिंह का शासक दल के साथ मिली हुई सरकार थी तो उन्होंने कुछ मंत्रियों को हटाने का गवर्नर से अनुरोध किया था। गवर्नर ने उस बात पर कोई फैसला नहीं दिया और बाद में कह दिया कि वह मुख्य मंत्री हैं जरूर लेकिन उनकी राय उन्होंने नहीं मानी यह कह कर कि उनका सदन में बहुमत नहीं रहेगा और सदन में उनको अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया और राजभवन में उन्होंने फैसला कर दिया। तो इस तरह से वहां मुख्य मंत्री की राय को नहीं माना गया और दूसरी तरफ उनकी राय को मान लिया गया जब कि स्पष्ट प्रमाण सामने थे कि उनका बहुमत नहीं है। यह बात समझ में नहीं आती और सिवाय इसके कि वे शासक दल के मुख्य मंत्री हैं और कोई कारण नहीं समझ में आता। जब कि उत्तर प्रदेश में भी परिस्थिति वही थी, लेकिन एक जगह मुख्य मंत्री की राय को माना गया और दूसरी जगह नहीं माना गया। ऐसी हालत में यह ठीक है कि आपके पास बहुमत है, केन्द्र में आपकी सरकार है लेकिन ऐसा होने से जनतांत्रिक परम्पराओं की मान्यता चली जायेगी। जहां उनका हित होगा वहां राज्यपालों का उसके लिये कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जायेगा और मैं बड़े दुःख के साथ इस बात को कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति इस देश में राज्यपालों के पदों पर अधिकांश में आसीन होते जा रहे हैं जिनमें नैतिकता का अभाव है और जो अपने पद का और अपनी प्रतिष्ठा का धन के लोभ में, लालच में आकर दुरुपयोग करते हैं और शासन अधिकांश में नौकरी से हटाये गये ऐसे लोगों की उस पद पर नियुक्ति करता है जिन्होंने जीवन भर सरकार की नौकरी की है और राज्यपाल हो कर भी वे सरकार की नौकरी करते हैं और वही आदेश देते हैं कि जो उनको मालिकों को मंजूर हो। इसीलिये आज बराबर ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है कि जो नौकरी से हटाये जा रहे हैं अथवा जो उनकी पार्टी के लोग हैं। इस परम्परा को कहीं रखने की बात नहीं की जा रही है कि इस देश में जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, उन विरोधी दलों के लोगों में से भी कुछ को राज्यपाल नियुक्त करके उनको भी मौका दिया जाना चाहिये और आप इस नीति का परिपालन करने के लिये तैयार नहीं हैं।

एक बात और, राज्यपाल की रिपोर्ट से मुझे लगता है, उसमें वह कहते हैं कि बीजू पट-नायक ने जो फेहरिस्त दी है उसको देखते हुए उनकी राय में कोई सरकार वहां नहीं बन सकती और इस बात से यह ध्वनित होता है, यह प्रमाणित हो जाता है कि वहां बीजू पटनायक का बहुमत है, लेकिन राज्यपाल महोदय को यह आशंका है कि उनकी सरकार स्थायी नहीं होगी । लेकिन अगर उनका बहुमत है तो उनको सरकार बनाने देनी चाहिये । वह स्थायी रहेगी या नहीं यह बाद की बात है । जो सरकार बनी थी वह 6, 7 महीने के बाद गिरी। वह कौन सी स्थायी सरकार बनी रही जिसके कि बड़े समाजवादी नारे थे, बड़ी क्रान्तिकारी विचार-धारायें ले कर जो आयी थी, जो उड़ीसा में 6 महीने तक सरकार बनी रही उसने वहां क्या किया ? क्यों नहीं नन्दिनी शतपथी जी ने प्रगतिशील विधेयक लाकर, आर्डिनेंस जारी कर के वहां सुधार कर दिये, क्यों नहीं वहां गरीबी को दूर कर दिया, क्यों नहीं वहां के लोगों की खेती की पैदावार को बढ़ा दिया और क्यों नहीं एक समाजवादी कार्यक्रम को वहां लागू कर दिया ? पिछली सरकार का जो लेखा-जोखा वहां रहा है वह इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि उन्होंने दल-बदलुओं के आधार पर अपनी सरकार बनायी और निरन्तर अपने शासन का सदुपयोग इस दृष्टि से करती रहीं कि दल-बदलू उनके साथ अधिक आते जायें, बढ़ते जायें, इस बात की कोशिश होती रही और जब दल-बदलुओं के आधार पर ऐसी सरकार बनायेंगे तो चाहे उस सरकार को प्रगतिशील सरकार कहिये, कुछ कुछ भी कहिये, वह सरकार ऐसे लाभदायक कार्यक्रम नहीं चला सकेगी, जिससे कि प्रदेश में जनता का कोई हित हो सके । और माननीय, जब दल-बदल कर के शासक दल में कोई जाता है तो हमारे मालवीय जी कहते हैं कि वह समाजवाद में आस्था रखता है, लेकिन जब वह उनके दल को छोड़ कर के दूसरे दल में जाता है तो उसको दल-बदलू कहते हैं, यह कौन सी परिभाषा वह दल-बदलू की देना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

(Time bell rings.)

इसलिये श्रीमन् मेरी मांग इस सम्बन्ध में दो हैं । एक तो यह कि इस बात से मैं बिलकुल सहमत हूं—हालांकि मैं जानता हूं कि सरकार इस बात को नहीं करेगी, लेकिन देश की जनता से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे गवर्नरों को तत्काल वहां से हटा देना चाहिये, जो गवर्नर निष्पक्ष नहीं रह सकता हो ऐसे को गवर्नर नियुक्त करना ही नहीं चाहिये। दूसरी बात मेरी यह है कि संविधान के अनुच्छेद 356 में इस प्रकार का संशोधन होना चाहिये कि बहुमत की परीक्षा सदैव सदन में ही हुआ करेगी, कोई भी स्थिति हो, कोई भी राज्यपाल हो अथवा कोई भी राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो उसको अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह राजभवन में बैठ कर या राष्ट्रपति भवन में बैठ कर इस बात का फैसला किया करे कि किस दल को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं प्राप्त है ? हर हालत में सदन के अन्दर ही बहुमत की परीक्षा होनी चाहिये । तीसरी बात मेरी यह है कि अब समय आ गया है कि इसके लिये कोई संवैधानिक निर्देश होना चाहिये कि राज्यपाल ऐसे संकटकालीन परिस्थिति में किस तरह से कार्य करें। ऐसे सिद्धांत निर्मित होने चाहियें । इसके अभाव में समय-समय पर शासक दल राज्य-पालों का उपयोग अपने दल की सरकार बनाने और विरोधियों की सरकार को गिराने के लिये करता रहेगा ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Amat, just five minutes please.

SHRI DEBANANDA AMA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, » this would be my maiden speech her* at the outset I would like to thank th* Chair for having given me this oppor* tunity to speak on the motion regard-ing the proclamation of President's

[Shri Debananda Amat]

rule in Orissa, at the fag end of the debate. The time at my disposal is very short and so I shall try to speak in a nut-shell and be very brief.

While speaking. Sir, I join other hon. Members of this House who have expressed indignation at the behaviour of the Centre in this event, that is, imposition of President's rule in Orissa.

Sir, I myself was an independent candidate for the Rajya Sabha election of Orissa which took place on 1st March, 1973 ^an^d> fortunately or unfortunately, that dat$_e$ coincides with the event of the resignation of the ministry headed by Mrs. Nadini Sat-pathy and recommendation for a midterm poll in Orissa after being reduced to a minority. In that election I was contesting against the official candidate, Shri Mahanty and I was duly declared elected by securing 77 votes. One vote was cancelled. The opposition official candidate secured only 60 votes. So, I was duly elected. After my election I had been to the Baj Bhavan along with the Pragati Party leader, Shri Biju Patnaik and 72 other M.L.As to meet His Excellency the Governor of Orissa. I expected that the leader of the Opposition party, Shri Biju Patnaik will be invited to form an alternative Government, on the basis of what had happened in Madhya Pradesh earlier: when in Madhya Pradesh D. P. Mishra's Government was reduced to a minority, the leader of the Opposition, Shri G. N. Singh was invited to form an alternative Government. I expected that that convention will be followed in Orissa also. But to my utter dismay it was not done so, due to the reasons best known to the Governor. It was also clear from the letter of Shri N. Rath, Secretary, Orissa Legislative Assembly to Shri Biju Patnaik—*Vide* letter No. 3485| LA dated 1st March, 1973—that the total strength of the Orissa Pragati Party was 72 in the Legislature. It is very clear from that letter—a cy-clostyled copy of which has been given by him to me—that beyond all doubt the Pragati Party had a majority in the House of 140. So I thought Mr. Biju Patnaik would be given an opportunity but that was not cone. I would like to mention here some constitutional aspects with regard to the executive powers of the President.

Firstly, the President is the Executive Head of the Union. Everything is executed in his name. He is also the Supreme Commander of the Defence Forces of India. He can declare war and conclude peace treaties also. Besides, he appoints the Prime Minister, the ambassadors, the Judges of the Supreme Court and the High Courts, members of various Commissions and lastly Governors of th« States. The President can remove a Governor from his office. He can even remove the Ministers. All these are his functions and he performs them also.

Then I would like to enumerate some of his parliamentary functions and also when the Parliament is empowered to make laws for the State. If the President is satisfied that the Government in any State cannot be carried on in accordance with the Constitution, he may declare Emergency in that State and assume to himself all or any function of the Government of the State.

Now, the question is what does the 'Emergency' constitutes and whether there was a state of Emergency in the State of Orissa. There was at all no emergency at all in Orissa. The President has been given ample powers under the Constitution in this regard. The Constitution visualises three kinds of situation in which emergency could be declare. The first is emergency arising out of war. There was no internal or ex:emal aggression or disturbance. Secondly, Emergency can arise out of the failure of the Constitutional machinery in the State but there wa<; no such situation in the Orissa State. Lastly, it can_be declared if there is

threat to financial stability of the country. None of the things happened in Orissa. So what was the I reason for proclaiming the President's Rule in Orissa?

The actual thing is that the President of India is equipped with vast powers but he would not do anything without the concept of the Council of Ministers. If he does so, he may run the risk of his own exalted office. That is why the President could not use his own discretion.

Regarding the term of office of the President, I would say that the President holds office for a period of five years. He can be re-elected. In case," however, if he violates the Constitution, he can be removed from office by impeachment. That is there in the Constitution.

So, Sir, I will not say for the impeachment, I demand that the Governor of Orissa, Shri B. D. Jatti, should be removed from office. I demand it not as a charity but for the unconstitutional and unparliamentary work done in Orissa. I demand for the recall of the Governor from Orissa. It breeds suspicion as to why the President's Rule has been clamped in Orissa. The day before I was hearing the rape of a Harijan girl and now the Constitution is being raped, democracy has been murdered, slaughtered and killed and hurried.

With these words, I thank the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at fourteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

-

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

UNDERGROUND EXPLOSION INJITPUR COLLIERY ON MARCH 18,1973

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Sir, I want to call the attention cf the Minister of Steel and Mines to the underground explosion in the Jitpur Colliery near Dhanbad on March 18, 1973, resulting in the death of about 50 coalminers and injuries to several others and the steps taken by Government for the safety of the workers.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMAR A-MANGALAM): Sir. it is with great sorrow that I have to inform the House of a major accident at Noonu-dih-Jitpur colliery of M|>3. Indian Iron and Steel Co. Ltd., now under management of Government of India, on 13th March, 1973, at about 20.00 hours which has resulted in the loss of life to 47 workers and injuries to about another 20.

Noonudih-Jitpur colliery of Mis. Indian Iron and Steel Co. Ltd. is situated in the district of Dhanbad in Bihar. It is about 14 1[2 kms. from Dhanbad. The management of this company (comprising *inter alia* of the coal mines) was taken over by the Government of India in July, 1972.

The mine is worked in three shifts commencing at 08.00, 16.00 and 24.00 hours and Sunday is rest day at the mine. However, maintenance work and other special works are carried out on Sundays.

The accident occurred in the second shift of Sunday the 18th March, 1973, at about 20.00 hours. Underground works relating to maintenance, repair and stowing, etc., were going on during this shift. 102 persons were working in this shift. The accident occurred in the workings in seam No. 14 of the mine situated at a depth of about 450 metres.